निर्णय बइजालास प्रकाश चन्द रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 236/प्रार्थना–पत्र/2015 तारीख दायराः–30.09.2015

उनवान

1. भंवरीबाई पत्नि रंगलाल जाति भील निवासी रायपुर तहसील झालरापाटन

–प्रार्थिया

बनाम

1. बजरंगलाल नाबा0 पुत्र गोकुल अकवाम भील निवासी रायपुर तहसील झालरापाटन जरिये माता स्वयं नैचुरल गार्जन श्रीमति रूकमाबाई पत्नि गोकुल जाति भील निवासी रायपुर तहसील झालरापाटन
2. सत्यनारायण नाबा0 पुत्र गोकुल अकवाम भील निवासी रायपुर तहसील झालरापाटन जरिये माता स्वयं नैचुरल गार्जन श्रीमति रूकमाबाई पत्नि गोकुल जाति भील निवासी रायपुर तहसील झालरापाटन
3. श्रीमति रूकमा बाई पत्नि गोकुल जाति भील निवासी रायपुर तहसील झालरापाटन
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट,1955

उपस्थित– विद्वान अभिभाषक श्री इकबाल अहमद खान(प्रार्थिया)
विद्वान अभिभाषक श्री मंसूर आलम(अप्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांकः– 05.03.2018

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर की आराजी खसरा नं0 41 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 42 की रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 443/52 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 3 की रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। जो प्रार्थिया एवं अप्रार्थी नं0 1 व 2 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा, अधिकार कब्जा 2/3 का है। प्रार्थिया अपने 2/3 हिस्से की खातेदार टिनेन्ट है । जिस पर प्रार्थिया का हिस्सा व कब्जा बतौर खातेदार टिनेन्ट आज दिनांक तक चला आ रहा है। प्रार्थिया अपने 2/3 हिस्से की भूमि को वर्तमान में हांक जोत कर फसल बौने के लिए तैयार कर रखी है।

प्रश्नगत आराजी में अप्रार्थीगण का हिस्सा व कब्जा 1/3 का है। प्रश्नगत आराजियात सरकारी कागजात में शामलाती खाते में दर्ज है किन्तु मौके पर प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के हिस्से अलग–अलग रहे है यानि 2/3 हिस्से की मेर अलग पड़ी हुयी है और 1/3 हिस्से की मेर अलग पड़ी हुयी है और इसी आधार पर प्रार्थिया व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सों को काबिज होकर काश्त करते है। उक्त भूमि के शामलाती खाते में दर्ज होने से भूमि के विकास कब्जे व काश्त को लेकर प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के विरूद्ध तनाजे है। जिस कारण प्रार्थिया अपना हिस्सा व कब्जा अलग करना चाहती है और कानून सम्वत विभाजन चाहती है। अप्रार्थी ने दिनांक 08.06.2015 को प्रार्थिया के 2/6 हिस्से की भूमि पर आकर प्रार्थिया से झगड़ा किया और उसे 2/3 हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी और खातों का बंटवारा करने से इन्कार कर दिया इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर वकील श्री मंसूर आलम ने वकालत नामा पेश किया तत्पश्चात वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.09.2017 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थिया को दिलवायी गयी तथा पत्रावली प्रार्थना–पत्र बहस में रखी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया व मनन बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षकारान के बाद यह जाहिर हुआ कि विवादित आराजी अविभाज्य भूमि है एवं यह संयुक्त रूप से सभी हिस्सेदारान द्वारा काश्त की भी जा रही है। विक्रय पत्र द्वारा भंवरीबाई को 2/3 हिस्सा विक्रय किया गया है। सहखातेदार अपने हिस्से को विक्रय तो कर सकता है परन्तु जब तक क्रेता अन्य सहखातेदार के साथ आराजी का बंटवारा नहीं करा ले सहभागी कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता।

जब तक बंटवारे के जरिये आराजी को सुनिश्चित न करा ले और जब तक क्रेता की हैसियत एक स्ट्रेन्जर की ही मानी जावेगी। क्योंकि सभी सहखातेदारान का अविभाज्य आराजी के प्रत्येक इन्च पर कब्जा माना गया है और बिना बंटवारे के एक सहहिस्सेदार दूसरे सहहिस्सेदार के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं करवा सकता है कि सहभागी द्वारा दूसरे सहभागीदार के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है। आर0टी0 एक्ट धारा 212 के अन्य सिद्धातों की प्रथम सिद्धान्त के प्रमाणित न होने से अन्य का अवलम्बन नहीं होता है। प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

05/3/18

(प्रकाशचन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, झालावाड

Scanned by CamScanner